



2026:AHC-LKO:20440

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1046 सन 2026

कपिल कुमार गुप्ता

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	संजय कुमार सिंह, शिवांगी मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, रोहित त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 530 / 2020 अंतर्गत धारा 420, 409, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन गोमती नगर, जिला लखनऊ में जमानत आवेदन दायर किया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक संबंधित कंपनी में कमीशन एजेंट था। यह भी बताया गया है कि कंपनी उसे मानचित्र सहित भूखंडों की सूची प्रदान करती थी और विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद, विक्रय राशि कंपनी के खाते में जमा की जाती थी और कमीशन आवेदक को भुगतान किया जाता था। यह दृढ़तापूर्वक निवेदन किया जाता है कि जांच के दौरान, आवेदक को हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उसे अग्रिम जमानत दी गई थी और उसने कभी भी इस जमानत का दुरुपयोग नहीं किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। (सह-आरोपी आसिफ नसीम के मामले में दिनांक 14.08.2025 को पारित आदेश की छाया-प्रति आवेदन के अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।) आगे निवेदन किया जाता है कि आवेदक तीन मामलों में आरोपित है और उसे तीनों मामलों में जमानत दी जा चुकी है। अंत में निवेदन किया जाता है कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है और आवेदक 28.08.2025 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि जांच के बाद आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए गए और उसके बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आवेदक कंपनी में किसी पद पर नहीं है। उन्होंने यह भी माना कि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट, सह-आरोपी व्यक्ति के जमानत आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि सह-आरोपी आसिफ नसीम, जो कंपनी में प्रबंध निदेशक थे, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2025 को जमानत आवेदन संख्या 4130 / 2025 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदन को **अनुमति** दी जाती है

7. आवेदक कपिल कुमार गुप्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 530 / 2020 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और निचली अदालत जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मार्च 20, 2026

पीएस

[न्यायमूर्ति राजीव सिंह]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।